

प्रेस नोट दिनांक-23.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गयी जिसमें 04 अभियुक्तों से 90 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 03 किलो 200 ग्राम यूरिया, 800 ग्राम फिटकरी बरामद की गयी।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम टिकुरा में छापेमारी की गयी जिसमें अभियुक्त राजकिशोर पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी टिकुरा थाना कोतवाली कर्वी को 30 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 01 किलो यूरिया, 200 ग्राम फिटकरी के साथ, 2. अभियुक्त छोटू पुत्र बाबूलाल निवासी टिकुरा थाना कोतवाली कर्वी को 30 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 01 किलो यूरिया, 250 ग्राम फिटकरी के साथ, 3. अभियुक्ता सावरिया पत्नी रामकेश को 15 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम फिटकरी के साथ तथा 4. अभियुक्त राममनि पत्नी गौरा निवासी टिकुरा थाना कोतवाली कर्वी को 15 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 700 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम फिटकरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 90 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब,
2. 03 किलो 200 ग्राम यूरिया,
3. 800 ग्राम फिटकरी

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह कोतवाली कर्वी
2. आबकारी प्रभारी निरीक्षक प्रफुल्ल कुमार सिंह
3. चौकी प्रभारी रामवीर सिंह सीतापुर
4. आरक्षी प्रकाश मिश्रा सीतापुर
5. आरक्षी सतीश यादव कर्वी
6. आरक्षी संजीव कुमार कर्वी
7. आरक्षी हरिकांत आबकारी
8. आरक्षी मनेश कुमार आबकारी
9. आरक्षी लालाराम वर्मा आबकारी
10. महिला आरक्षी कविता सिंह आबकारी
11. महिला आरक्षी राखी सीतापुर

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची व 22 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शनि कुमार पुत्र रामलखन निवासी डफाई मोड रैपुरवामाफी थाना कोतवाली कर्वी को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). वरि०उ०नि० श्री योगेश कुमार तिवारी थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवपाल केवट पुत्र रामसेवक निवासी धोबीगंज थाना राजापुर को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ०नि० श्री दिनेशचन्द्र पाण्डेय थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राकेश पुत्र वशिष्ठ मुनि निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री उ०नि० दिनेशचन्द्र पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा मु०अ०सं० 190/21 धारा 376ई/323/504 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त बबुली निषाद पुत्र किशोर निवास कोटरा खाम्भा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को तथा उ०नि० श्री अनिल कुमार सिंह तथा उनकी हमराही द्वारा मु०अ०सं० 191/21 धारा 307/323/324/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र बैजनाथ पाल निवासी नीबी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). आज दिनांक-23.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल की अध्यक्षता में थाना राजापुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा थाना समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिशा-निर्देश दिये गये। थाना दिवस में आए हुए भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आईजीआरएस रजिस्टर, जनशिकायत रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक राजापुर को आवश्यक निर्देश दिये गये।

थाना समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी राजापुर श्री संगमलाल गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अवधेश कुमार मिश्रा, पीआरओ श्री शिवकुमार यादव तथा पुलिस एवं राजस्व विभाग के अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री प्रवीण सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु०अ०सं० 667/14 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली कर्वी के वारंटी अभियुक्त मोसिन पुत्र कुल्लू निवासी सुनरहटी मोहल्ला तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री प्रवीण सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2. हो०गा० शिव गुलाम चौधरी

(ii). प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा मु०अ०सं० 46/19 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर के वारंटी अभियुक्त लाला पुत्र मुगलू निवासी झरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मानिकपुर

2. आरक्षी पंकज सिंह परिहार

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 23.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा शिवरामपुर, भैसोंधा में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा ग्राम मवई कला, ग्राम मंडोर, ग्राम ताड़ी ग्राम सिकरो, पंडित पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज व कस्बा मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सिन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।